न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 40/2021

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 उमाराम पुत्र लिछमणराम 2 दिनेश पुत्र उमाराम जातियान मेघवाल निवासीगण सुरपुरा तहसील डेगाना।		1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार डेगाना। 2 दीपक 3 रामपत 4 नेमाराम पुत्रान उमाराम जातियान मेघवाल निवासीगण सुरपुरा तहसील डेगाना।

उपस्थिति :–

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 08.07.2024

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 47/2021 सरकार बनाम दिनेश व अन्य में निर्णय दिनांक 01.09.2021 के तहत मौजा सुरपुरा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.10.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 14.10.2021 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 47/21 सरकार बनाम दीपक व अन्य की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलान्ट्स ने निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01.09.2021 को पेश कर दिया, मगर निर्णय की नकल अपीलांट को दिनांक 06.10.2021 को मिली। दिनांक 01.09.2021 से 06.10.2021 तक की अवधि मियाद अवधि से अलग कर अपील अपीलान्ट्स अंदर मियाद शुमार करने योग्य है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्ट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– खसरा नम्बर 117 रकबा 1.63 हैक्टयर पर अपीलान्ट्स ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया। खसरा नम्बर 117 में खनन माफिया द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था व खनन करने से अपीलान्ट्स द्वारा मना करने पर भी खनन माफिया द्वारा खनन करना चालू रखा। पडोस में अपीलांट के खातेदारी का खेत है, इसलिए अपीलान्ट्स ने अवैध खनन रोकने हेतु कांटे डाले एवं खनन माफिया लोगो ने अपीलांट्स के साथ आपराधिक कृत्य किया। इसका मुकदमा अपीलान्ट्स ने दर्ज कराया, तव खनन माफिया के लोगो ने पटवारी से झुठी रिपोर्ट करवाकर उक्त प्रकरण दर्ज करवाया एवं तहसीलदार से मिलावट कर अपीलान्ट्स के विरूद्व बिना स्थायी कब्जा किये, बिना अतिक्रमण के बेदखली आदेश करवाये व भौतिक वेदखली की मिथ्या रिपोर्ट बनाई।

{2}(II)– अपीलान्ट्स ने कोई अतिक्रमण नहीं किया। पटवारी हल्का ने मिथ्या रिपोर्ट बनाई। नोटिस की पुस्त पर अतिक्रमित भूमि का कोई नजरी नक्शा दर्ज नहीं किया। आदेश जेर अपील निरस्त करने योग्य है। अपील अपीलान्ट्स स्वीकार योग्य है। दीपक, रामपत, नेमाराम पुत्रगण उमाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं है।

08/7/24

अपर कलक्टर, नागौर

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा सुरपुरा में स्थित गै. मु. वाला पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 47/2021 सरकार बनाम दिनेश व अन्य में निर्णय दिनांक 01.09.2021 के तहत मौजा सुरपुरा की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है, अपीलांट सं. 2 का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. बाला है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/7/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर